

REFERENCE TO ALLEGED VICTIMISATION BY THE MANAGEMENT OF DELHI PUBLIC SCHOOL OF TEACHERS, ETC

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal)

With your permission I wish to invite the attention of the Government to another serious development. The management of the Delhi Public School, Mathura Road, New Delhi, has started witch-hunting against the teachers. As you know, the matter came up for discussion in the House, as also the manner in which this school was run to the detriment of teachers. Now they have put up a notice, which reads as follows

"This is to notify to all the employees and staff of Delhi Public School that participation, direct or indirect, in the activities in connection with any Union or Association are derogatory to the interest of the school and it will be taken by the administration of the school as a serious act of indiscipline which may result in *Termination of services* of individual or individuals

This notice is put on the school notice board for the information of all, in the interest of the peaceful functioning of the school "

E O will announce it in vernacular to Class IVth employees "

This is signed by the Principal, 'Padma Shri Devi Dayal'. This is dated 18th August, 1972. We are a little shocked. There is the Education Ministry in this country. This is the kind of notice that is put up! This man is honoured as "Padma Shri"! I do not know? I do not know why they are suppressing the trade union or association of people just for normal activities.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) यह माफ नहीं हुआ।

श्री भूपेश गुप्त क्या साफ नहीं हुआ हम तो नोटिस पढ़ दिया आपके सामने। यह नोटिस में लिखा है कि स्टाफ को प्रोजीक्यूट करेंगे।

श्री नवल किशोर ठीक हो जायगा, सब हो जायगा।

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I do maintain that this is wholly illegal and unjustified. Academic freedom is sought to be curtailed and the elementary rights of

teachers, employees and other workers are curtailed simply because they have formed an association in defence of their rights. I would seek the intervention of the Government in general, and of the Education Ministry in particular.

I demand, Sir, that the system of public schools should be abolished forthwith throughout the country, and in Delhi in particular, and these schools should be taken over. Why should there be public schools for some vested interests where only the rich people can go? These are systems of corruption? As you know, Sir, only the sons and daughters of the ICS officers and other such people go there. These people go there and bribe them. This is the exposure we made in this House. The result is that there is victimisation. I would ask the Government to take necessary action.

डा० भाई महावीर (दिल्ली) श्रीमन् मैं आपकी इजाजत से एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस समय व्यास-सतलज लिंक प्रोजेक्ट पर लगभग दो हजार लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। बड़ा सकटमय भी है, कठिन भी है, लेकिन उस काम को जितनी तनदेही और जोश से किया जा रहा है उसको देख कर उन सब कामगारों की तारीफ करना स्वाभाविक है। परन्तु महोदय, वह सब लोग जो कि वहाँ पर हैं अभी तक उनकी नौकरियों को स्थायी करने की व्यवस्था नहीं और उन लोगों को अभी भी यह सदेह है कि जिम वक्त दो-चार साल के बाद वह काम खत्म होगा, उसके बाद वे लोग कहा जायेंगे, उनको कहा रोजगार मिलेगा या बेरोजगारों की श्रेणी में ही वह दाखिल हो जायेंगे।

श्री सुल्तान सिंह (हरियाणा) आपके यहाँ दाखिल हो जायेंगे।

डा० भाई महावीर : परन्तु, महोदय, केवल यही सवाल नहीं है। जिस वक्त

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) यह क्या इस वक्त कह रहे हैं?

डा० भाई महावीर यह हरियाणा के चौधरी पहले बोल लें तो मैं फिर बाद में बोलूंगा।

श्री भ्रोम् मेहता (जम्मू तथा काश्मीर): हम हरियाणा और दिल्ली दोनों के चौधरी के दमियान में है।

डा० भाई महावीर : दमियान में नहीं त्रिकोण में है। श्रीमन्, नवम्बर, 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था उस वक्त 3 डैम बन रहे थे—व्यास-सतलज लिंक प्रोजेक्ट, व्यासडैम और भाखड़ा डैम। इन तीनों में 5,000 के करीब श्रमिक काम कर रहे थे। जो पंजाब का रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट पास हुआ उसकी धारा 80 और 82 के अनुसार ये जो श्रमिक काम कर रहे थे, उनको अपने-अपने निवास के राज्य को एलोकैट किया जाना था। इसके अनुसार बाकियों का तो हो गया है, लेकिन 5,000 में से 600 ऐसे कर्मचारी रह गये हैं जो हिमाचल प्रदेश के निवासी होने के बावजूद उनको हिमाचल प्रदेश में लेने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार राजी मालूम नहीं होती और यहाँ तक हुआ है कि पंजाब हाई कोर्ट में तलवाड़ा डैम, व्यास डैम के श्रमिक रिट् पेटिशन लेकर गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सारे श्रमिकों को, जिस राज्य के वे निवासी हैं, उसी में एलोकैट करने के लिये कदम उठाए जाए। तीनों राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा—की एक मीटिंग हुई जुलाई, 1971 में और उसमें मेरी जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने यह स्वीकार कर लिया कि इन 600 श्रमिकों को हिमाचल प्रदेश ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने मन बदल लिया। मालूम होता है और उनको पंजाब या हरियाणा की तरफ भेजने का यत्न किया जा रहा है। मेरा अपना आग्रह है और सरकार से निवेदन है कि यह एक मानवीय पहलू है कि 600 लोग जिनके घर हिमाचल प्रदेश में हैं, वे चाहते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई अपने उस वायुमण्डल में हो और वे वही पढ़ें जो उनके क्षेत्र में पढ़ाया जाता है और और स्वयं उनके दो जगह घरबार न हो और उससे मंहगाई से भी वे बच सकेंगे, यदि उनको हिमाचल प्रदेश की तरफ एलोकैट किया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंजाब के रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट की धारा 80 और

82 के अनुसार केन्द्रीय सरकार उनको हिमाचल प्रदेश में ही एब्जाव्र किए जाने का आदेश दे या एक परामर्श दे और अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बारे में उचित कदम जल्दी उठाए।

REFERENCE TO POWER CRISIS IN PUNJAB

श्रीमती सीता देवी (पंजाब) : माननीय उप-मन्त्रिपति जी, मैं एक बहुत आवश्यक विषय के ऊपर आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। आपको पता है कि आजकल वर्षा न होने से पावर की बड़ी शॉर्टेज है। वैसे तो सारे हिन्दुस्तान के ऊपर ही इसका प्रभाव है, पर पंजाब के ऊपर विशेष प्रभाव है। पंजाब में इस वक्त गोविन्द सागर में जितना पानी होना चाहिए था उसका 50 परसेन्ट है और ऐसी आशंका हो रही है कि अगर यही हालत रही तो अगले 2 साल तक पंजाब में बड़ी भारी क्राइसिस बिजली की आने वाली है। हम 75 लाख यूनिट बिजली भाखड़ा से लेते थे, जिससे हमारा एग्रिकल्चर, हमारी इन्डस्ट्री और हर चीज चलती थी। आपको पता है कि पंजाब में ग्रीन रिवोल्यूशन किस प्रकार हुआ और ग्रीन रिवोल्यूशन का क्रेडिट पंजाब सरकार को भी है, पंजाब के एग्रिकल्चरिस्ट के मेहनत को भी है और पावर वगैरह उसको मिलती रहे तो काम भी ज्यादा अच्छा होता है। तो हम 75 लाख यूनिट बिजली भाखड़ा से लेते थे, वह इस वक्त हमें 32 लाख भाखड़ा से और 20 लाख जोगेन्द्रनगर के थर्मल प्लांट से मिला कर मिलती है। तो 23 लाख यूनिट की हमें प्रतिदिन की शॉर्टेज है। तो आप बताए कि किस तरह से इतने में पंजाब का काम चल सकता है। पंजाब में 40 परसेन्ट “कट” मारे अर्बन एरिया पर लगा दिया है और एग्रिकल्चर वाले जिनको 24 घण्टे पानी मिलता था, अब सिर्फ 4 घण्टे उनको बिजली दे रहे हैं। आप अदाजा करे कि 4 घण्टे बिजली देने से एग्रिकल्चर की क्या हालत होगी। सारा एग्रिकल्चर सूख रहा है।